भैरूलाल V/s नानीराम

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश
26/04/21	पीठासीन अधिकारी श्री मिति ... अवकाश पर गये हुए है, इसलिए पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 21.05.21 को प्रस्तुत करें। रीडर/पत्रावली के पीठासीन
21/5/21	पीठासीन ... अवकाश ... उनके समक्ष दिनांक 15/6/21 ... प्रस्तुत करें।
15/6/21	वकुलाम उप॰ P/D रिपोर्ट अप्राप्त है। इंतजार होकर मिसल पेश हो, (03/8/2024) को पेश हो 03/8/24 सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर.
03/8/24	वकुलाम उप॰ P/D रिपोर्ट प्राप्त होकर शा॰ मि॰ है। वकुलाम को P/D प्रमाण पर सुना गया। वकुलाम ने माफिक P/D रिपोर्ट वाद की अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। चूंकि पक्षकार ने P/D प्रमाण पर सहमति व्यक्त की है इसलिए वाद की अंतिम डिक्री किया जाता है। मिसल नियम अनुसार दाखिल दफ्तर हो। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल रखा जावे। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर.

कार्यालय तहसीलदार (भू० अ०) जायल

क्रमांक/ भू० अभि/2021/2860

दिनांक 30-7-2021

प्रेषित :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो
जायल

विषय :- प्राथमिक डिक्री की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव भेजने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त, विषय में आपके पत्रांक / दिनांक 226/09-03-2021 के अनुसरण में राजस्व वाद सं० 90/2018 अनुवान भंवरलाल बनाम कस्तीराम वगैरह में जारी प्राथमिक डिक्री आदेश का मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, कार्यालय में जमा हो जाने से इस पत्र के संलग्न मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में आगामी उचित कार्यवाही बाबत श्रीमान जी की सेवामें सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू०अ०)
जायल

संलग्न :- रा० वा० सं० 90/2018 में जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में।

Scanned with CamScanner

मौका रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री विभाजन प्रस्ताव

xxx xxx

मैं अमीलाल मीणा तहसीलदार जायल न्यायालय सहायक कलेक्टर आदेश क्रमांक: रीडर/कोर्ट/2021/226 दिनांक 09/03/2021 न्यायालय हाजा के राजस्व वाद सं. 90/2018 अनुपान भंवरलाल बनाम बस्तीराम वगैरह में पारित निर्णय प्राथमिक डिक्री एवं कार्यालय तहसीलदार (भू०अ०) जायल के आदेश क्रमांक /भू०अ०/प्राथमिक डिक्री/2021/1436 दिनांक 8-04-2021 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 26/04/2021 को मय भू०अ० निरीक्षक मांगलोद एवं हल्का पटवारी ग्राम डुगस्ताऊ पर भू०अ० निरीक्षक मांगलोद एवं हल्का पटवारी डुगस्ताऊ के साथ मौके पर पहुंचा। न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल में विचाराधीन प्रकरण सं. 90/2018 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस दिनांक 16/04/2021 जारी किये गये थे, जिनकी तामिल विधिवत रूप से करवाई गई। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित है।

क्र.स.	नाम मय वल्दियत	उम्र	जाति	वादी/प्रतिवादी
01	भंवरलाल उर्फ भंवरराम पुत्र हरजीराम	43 वर्ष	मेघवाल	वादी
02	बस्तीराम पुत्र हरजीराम	30 वर्ष	मेघवाल	प्रतिवादी
03	प्रेमा देवी उर्फ परमुडी पत्नि हरजीराम	55 वर्ष	मेघवाल	प्रतिवादी

उपस्थित पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया।

क्र.स.	नाम ग्राम	हिस्सेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा नं.	रकबा	स्थिति
01	डुगस्ताऊ	भंवरलाल उर्फ भंवरराम पुत्र हरजीराम मेघवाल निवासी डुगस्ताऊ	862 मेके 886 मेके	1.5216 हे. 1.5378 हे. (1.5378 हे.)	सम्पूर्ण हि. सम्पूर्ण हि.
			योग खसरा 2	3.0594 हे.	

योग

(हस्ताक्षर) पटवारी
(हस्ताक्षर) भू.अ.नि. मांगलोद 26.4.21
(हस्ताक्षर) तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

क्र.सं.	नाम ग्राम	हिस्सेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा नं.	रकबा	कब्जा प्रविष्टि
(2)	दुगस्ताऊ	बस्तीराम पुत्र हरजीराम व प्रेमा पुत्र डेमीउर्फ परमुडी पत्नी हरजीराम जाति मेघवाल	1819/818, 828	1-8292 हैक्टेयर, 1-4164 हैक्टेयर	सम्पूर्ण, सम्पूर्ण
कुल		नि. दुगस्ताऊ कृ. हि. पु. प्रत्येक का 1/2 हि.		कुल रकबा 3-2456 हैक्टेयर	03

मौके पर उपरोक्त अनुसार ही कब्जा काश्त है। अन्य पक्षकारों का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी उक्त विभाजन से पूर्ण सहमत है। उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों के समक्ष बनायी तथा पढ़कर सुनाई गयी मौके उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझकर निम्न प्रकार के हस्ताक्षर किये गये।

क्र.सं.	नाम मय वल्दियत	जाति	हस्ताक्षर	वादी/प्रतिवादी
1	भवरलाल उर्फ भवरूराम पुत्र हरजीराम	मेघवाल	भंवर लाला	वादी
2.	बस्तीराम पुत्र हरजीराम	मेघवाल	लक्ष्मीराम	प्रतिवादी
03	प्रेमा डेमीउर्फ परमुडी पत्नि हरजीराम	मेघवाल	अ.नि. (अंगूठा निशानी)	प्रतिवादी

अन्य उपस्थित मौतबिरानों को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई एवं हस्ताक्षर करवाये गये इस प्रकार आज दिनांक को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

(हस्ताक्षर) पट. दुगस्ताऊ

(हस्ताक्षर) 1 PL मांजवास ?

भंवर लाला

तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

लक्ष्मीराम

अ.नि. (अंगूठा निशानी)

हिम्मताराम

भींवराज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) जायल के राज
वाद सं. 90/2018 अन्तर्गत भंवरलाल बनाम बस्तीरा
वगैरह में पारित डिक्री में जारी नक्शा निम्न है

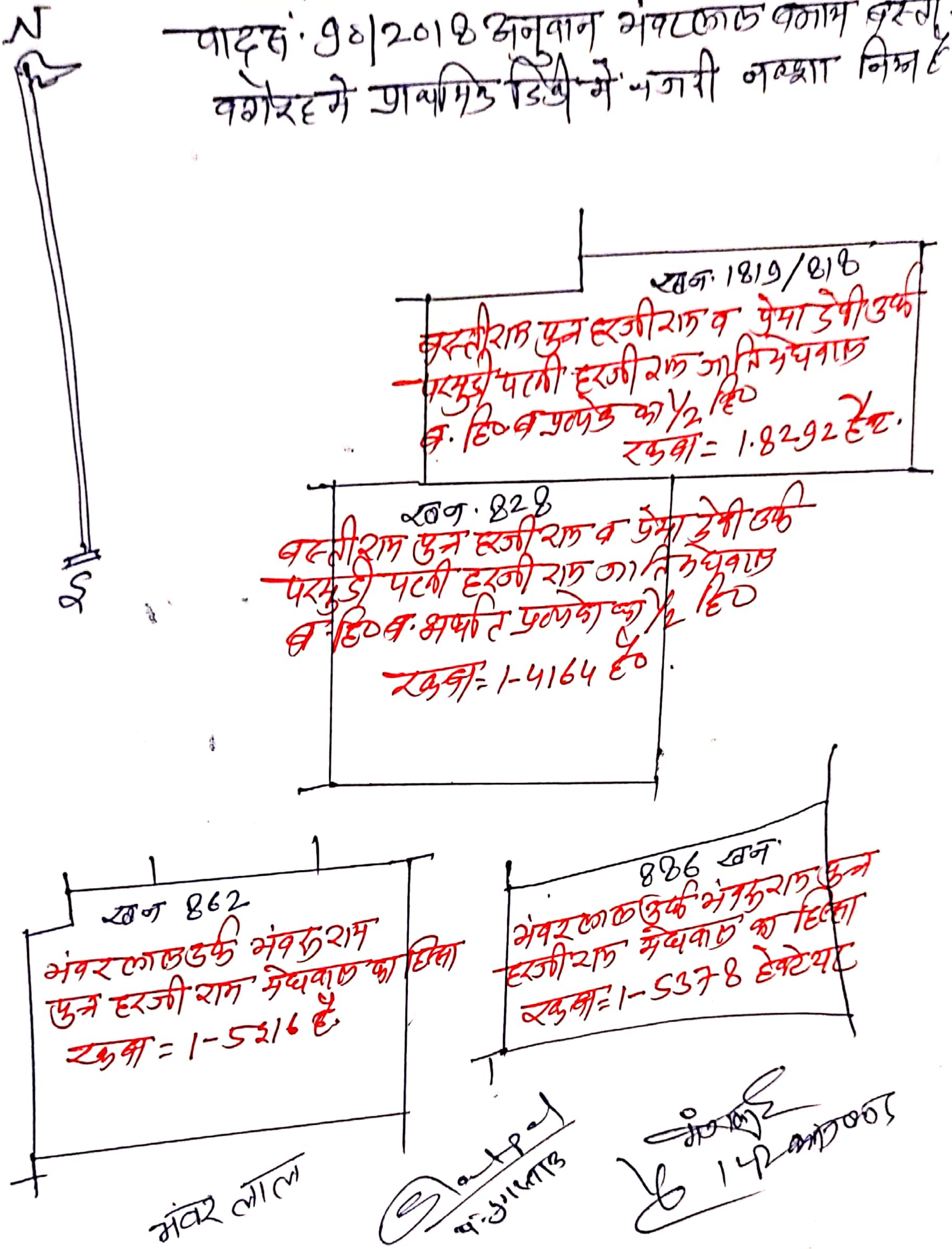

भंवर लाल

बस्तीराम

प्रेमा देवी

तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

नकल नक्शा किस्तवार
मौजा - डुगरवाडू
तहसील - जायल
जिला - नागौर
पैमाना 1 इंच = 40 गज

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.),जायल

दिनांक 16/07/2021

क्रमांक / भू.अ. / प्राथमिक डिकी / 2021 / 6P 1-4

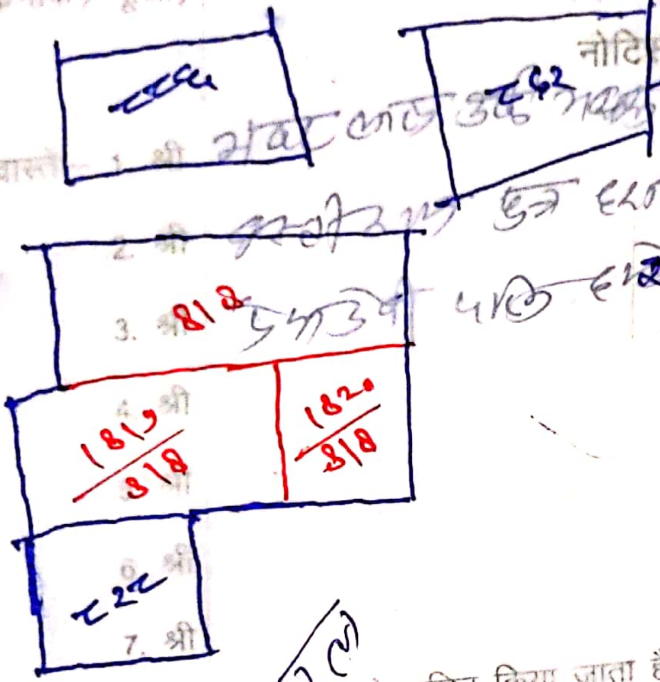

नोटिस

वास्ते 1. श्री भंवरलाल

2. श्री लक्ष्मीराम

3. श्री

4. श्री

5. श्री

6. श्री

7. श्री

केवल राजकार्य हेतु निःशुल्क नकल

25/07/2021

पटवारी (भू.अ.) (नागौर)
तहसील जायल

जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, जायल के राजस्व वाद संख्या 90/2018 अनुवान भंवरलाल बनाम लक्ष्मीराम में जारी प्राथमिक डिकी की पालना में ग्राम डुगरवाडू के खसरा संख्या 1819/818, 820, 822, 886 का बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाना है।

अतः दिनांक 20/07/2021 आप मौके पर उपस्थित रहें। अनुपस्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

तहसीलदार (भू.अ.), जायल

भंवर लाल

लक्ष्मीराम

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :90/2018

वादीगण–

1. भंवरलाल उर्फ भंवरूराम पुत्र हरजीराम
   जाति–मेघवाल निवासी–दुगरस्ताउ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. बस्तीराम पुत्र हरजीराम
2. प्रेमादेवी उर्फ परमुड़ी पत्नी हरजीराम
   जातियान–मेघवाल निवासीगण–दुगरस्ताउ,तहसील जायल (नागौर)
3. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादी
2. श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 03/8/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा दुगस्ताउ तहसील जायल में खेत खसरा नं. 828 रकबा 08.15 बीघा, खसरा नं. 862 रकबा 9.08 बीघा, खेत खसरा नं. 886 रकबा 9.10 बीघा व खसरा नं. 1819/818 रकबा 11.06 बीघा रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2065 को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क व ख) के अनुसार आखातीज को कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। उक्त खसरान् में से वादी भंवरलाल के हक बंट में खसरा नं. 862 रकबा 9.08 बीघा सम्पूर्ण, खेत खसरा नं. 886 रकबा 9.10 बीघा सम्पूर्ण रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमश बस्तीराम एवं प्रेमा देवी के हक शामलाती हक बंट में खेत खसरा नं. 828 रकबा 08.15 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नं. 1819/818 रकबा 11.06 बीघा सम्पूर्ण रखा गया है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक वंटवाड़ा हो जाने से माफिक वंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद वंटवाड़ा अनुसार राजस्वराजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

03/8/2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :90/2018

ादीगण–

1. भंवरलाल उर्फ भंवरूराम पुत्र हरजीराम
   जाति–मेघवाल निवासी–दुगस्ताउ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

ातिवादीगण –

1. बस्तीराम पुत्र हरजीराम
2. प्रेमादेवी उर्फ परमुड़ी पत्नी हरजीराम
   जातियान–मेघवाल निवासीगण–दुगस्ताउ,तहसील जायल (नागौर)
3. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादी
2. श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 03/8/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा दुगस्ताउ तहसील जायल में खेत खसरा नं. 828 रकबा 08.15 बीघा, खसरा नं. 862 रकबा 9.08 बीघा, खेत खसरा नं. 886 रकबा 9.10 बीघा व खसरा नं. 1819/818 रकबा 11.06 बीघा रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2065 को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क व ख) के अनुसार आखातीज को कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। उक्त खसरान् में से वादी भंवरलाल के हक बंट में खसरा नं. 862 रकबा 9.08 बीघा सम्पूर्ण, खेत खसरा नं. 886 रकबा 9.10 बीघा सम्पूर्ण रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कमश बस्तीराम एवं प्रेमा देवी के हक शामलाती हक बंट में खेत खसरा नं. 828 रकबा 08.15 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नं. 1819/818 रकबा 11.06 बीघा सम्पूर्ण रखा गया है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्वराजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

03/8/2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने दिनांक 08.10.2018 को उपस्थित न्यायालय होकर शपथपत्र एवं ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री जियाराम गोदारा ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की पहचान अधिवक्ता श्री शिवकुमार पाराशर की। ईकबाली जबाव बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है जो पत्रावली में शामिल मिसल है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। राजपैरोकार अनुपस्थित आवाजे लगाई गई परन्तु गैर हाजिर रहे। अत इनके विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह भंवरलाल पुत्र हरजीराम, प्रेमादेवी पत्नी स्व.हरजीराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम दुगस्ताउ तहसील–जायल सम्वत् 2072–2075 खाता संख्या 192 प्रदर्श–1 किया। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाने व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खातेदारी में खेत खसरा नं. 828 रकबा 08.15 बीघा सम्पूर्ण व खसरा नं. 1819/818 रकबा 11.06 बीघा सम्पूर्ण यथावत रखा जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाव आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 08.10.2018 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 08.10.2018 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। हमारी राय में मौजा दुगस्ताउ के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 828,862,886,1819/818 की भूमि को यथावत माफिक ईकबाली जबाब अनुसार बंट चाहा है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरान् का पक्षकारान् द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 09.03.2021 को प्राथमिक डिक्री किये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 09.03.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2860 दिनांक 30.07.2021 प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादीगण व प्रतिवादीगण भवंरलाल उर्फ भंवरूराम,बस्तीराम,प्रेमा देवी उर्फ परमुड़ी ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि अन्य मौतबिरान व्यक्ति हिम्मताराम एवं भीवंराज के हस्ताक्षर से भी होती है। अतः मौजा दुगस्ताउ तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरान्. 1819/818,828,862,886 के संबंध में प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 2860 दिनांक 30.07.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी भंवरलाल के हक बंट में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नं. 862 रकबा 9.08 बीघा (1.5216 हैक्टेयर) सम्पूर्ण, खेत खसरा नं. 886 रकबा 9.10 बीघा (1.5378 हैक्टेयर) सम्पूर्ण रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कमश बस्तीराम एवं प्रेमा देवी उर्फ परमुड़ी के हक शामलाती हक बंट में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नं. 828 रकबा 08.15 बीघा (1.4164 हैक्टेयर) सम्पूर्ण व खसरा नं. 1819/818 रकबा 11.06 बीघा (1.8292 हैक्टे.) सम्पूर्ण रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 03/8/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

03/8/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण– राजस्व वाद संख्या : 90/2018

1. भंवरलाल उर्फ भंवरूराम पुत्र हरजीराम
जाति–मेघवाल निवासी–दुगस्ताउ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. बस्तीराम पुत्र हरजीराम
2. प्रेमादेवी उर्फ परमुड़ी पत्नी हरजीराम
   जातियान–मेघवाल निवासीगण–दुगस्ताउ,तहसील जायल (नागौर)
3. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री जीयाराम गोदारा अधिवक्ता वादी
2. श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जियाराम गोदारा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 हाजरी श्री शिवकुमार पाराशर व प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

1. वादी भंवरलाल के हक बंट में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नं. 862 रकबा 9.08 बीघा (1.5216 हैक्टेयर) सम्पूर्ण, खेत खसरा नं. 886 रकबा 9.10 बीघा (1.5378 हैक्टेयर) सम्पूर्ण रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमश बस्तीराम एवं प्रेमा देवी उर्फ परमुड़ी के हक शामलाती हक बंट में मौजा दुगस्ताउ का खेत खसरा नं. 828 रकबा 08.15 बीघा (1.4164 हैक्टेयर) सम्पूर्ण व खसरा नं. 1819/818 रकबा 11.06 बीघा (1.8292 हैक्टे.) सम्पूर्ण रखा गया है।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner

. – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना
ाज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर
ादालत के आज तारीख ...03/8/2021..... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
हनताना वकील			खर्चा गवाहान		
ीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
ाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
ुतफरिक	.		मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
ीजान			मीजान		

:–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया
या हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

03/8/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner